न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–03 / 2023–24

प्रथम पक्षः–शितल उरांव एवं अन्य, ग्राम–चुकरू, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–शम्भू रजक एवं अन्य, ग्राम–चुकरू, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदकः–शितल उरांव, पिता–स्व0 रामा उरांव एवं अन्य (कुल–02) सभी मौजा–चुकरू, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा के अभ्यावेदन के आलोक में प्रारम्भ की गई। इसमें द्वितीय पक्ष शम्भू रजक, पिता–रामचन्द्र रजक एवं अन्य (कुल–02) सभी ग्राम–चुकरू, थाना–लावालौंग, जिला–चतरा। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा	चौहदी
चुकरू	01	06	2.00 एकड़	उ0–नीजे रैयत द0–पर्त. कदीम पू0–पर्त. कदीम वो नाला प0–पर्त. झाड़ी जंगल

2. इस वाद के क्रम में उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय को बताया है कि मौजा–चुकरू के खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06, रकबा–2.00 एकड़ भूमि सन्–1944 ई0 में बाहुकुम जनाब मैनेजर साहब कुन्दा राज इस्टेट द्वारा बिफा उरांव वल्द कैला उरांव को हुकुमनामा बन्दोबस्ती द्वारा हासिल जमीन है, जिसकी जमींदारी उन्तूलन से पहले जमीन्दारी लगान रसीद एवं जमींदारी उन्तूलन के पश्चात् सरकारी मालगुजारी रसीद आवेदकगण के दादा बिफा उरांव वल्द कैला उरांव के नाम से आज तक निर्गत होते आ रही है एवं जोत–कोड़ कर दखल–कब्जा में हैं।

3. यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड आवेदकगण का अपने पूर्वजों की मृत्यु के बाद उपरोक्त वर्णित भूमि पर दखल–कब्जा है, परन्तु विपक्षीगण के द्वारा गलत ढंग से जालसाजी धोखाधड़ी विक्रय के आधार पर अंचल को गेल में लाकर प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी कायम करा ली गई, जो संदेहात्मक है।

4. यह कि अंचल अधिकारी, लावालौंग के द्वारा नई जमाबन्दी किस आधार पर कर ली गई, जबकि प्रश्नगत भू–खण्ड की जमाबन्दी लम्बी अवधि अर्थात् पूर्व से आवेदक के दादा बिफा उरांव के नाम से कायम है।

5. यह कि आवेदक के द्वारा विपक्षीगणों का कायम जमाबन्दी रद्द करने एवं आवेदक के पक्ष में आदेश करने हेतु अनुरोध किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा की छायाप्रति, जमींदार द्वारा प्राप्त लगान रसीद की छायाप्रति एवं सरकारी लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है।

7. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन, राजस्व कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता के लिखित बहस के माध्यम से कहा है कि मो0 इस्लाम, पिता–स्व0 लेयाकत हुसैन के द्वारा केवाला के माध्यम 29.01.1960 ई0 को श्री राज कुमार प्रजा पालक नारायण सिंह से बैनामा के माध्यम से क्रय किया गया था और क्रय तिथि से लेकर वर्त्तमान समय में मो0 ईस्लाम एवं अन्य का दखल–कब्जा है और मौजा–चुकरू के अन्तर्गत खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06, रकबा–4.15 एकड़ एवं अन्य जमीन क्रय करने के उपरान्त उपरोक्त खाता की भूमि का अंचल कार्यालय से दाखिल–खारिज करवाया गया एवं वर्त्तमान समय तक सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होते आ रही है। वर्त्तमान समय में पंजी–2 के भाग संख्या–01 के पृष्ठ संख्या–196 पर जमाबन्दी दर्ज है।

8. यह कि खाता संख्या–01, प्लॉट संख्या–06, रकबा–0.48 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या–01 शम्भू रजक, पिता–स्व0 रामचन्द्र रजक के द्वारा दिनांक–02.11.2010 में बजरिये केवाला संख्या–7960/7877 के माध्यम से मो0 ईस्लाम, पिता–स्व0 लयाकत हुसैन 0.18 एकड़ भूमि की खरीदगी किया गया है, जिसके पश्चात् अंचल कार्यालय से दाखिल–खारिज कराकर वर्त्तमान में पंजी–2 के भाग संख्या–1 के पृष्ठ संख्या–190 पर जमाबन्दी कायम कराकत सरकारी लगान रसीद निर्गत होते आ रही है एवं उपरोक्त 0.18 एकड़ भूमि पर द्वितीय पक्ष शम्भू रजक जोत–कोड़ कर दखल–कब्जा में चलते आ रहें हैं।

9. यह कि मौजा–चुकरू के खाता संख्या–01 प्लॉट संख्या–06, रकबा–01 एकड़ भूमि द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या–02 किशोर रजक के पिता–केदार रजक के द्वारा केवाला संख्या–7961/7878, दिनांक–02.11.2010 के माध्यम से मो0 ईस्लाम, पिता–स्व0 लेयाकत हुसैन से भूमि क्रय की गई है, जिसका दाखिल–खारिज कराकर पंजी–2 के भाग संख्या–1 के पृष्ठ संख्या–189 पर जामबन्दी कायम हुआ तथा सरकारी लगान रसीद निर्गत होने लगी तथा वर्त्तमान तक दखल–कब्जा एवं जोत–कोड़ करते आ रहें हैं।

10. यह कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के द्वारा निर्णय पारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जमीन से संबंधित जमाबन्दी एवं सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है, तो दखल–कब्जा की संपुष्टि सिद्ध होती है, JCR 2008, Vol.2 Page No.&435 & BLJ 2008, Vol. 03, Page No.-159 में उद्धृत है।

11. यह कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने लिखित कथन के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2001 (1) जे0एल0जे0आर0 पृष्ठ संख्या–75 पर उद्धृत नियमन एवं डब्लू0पी0सी0 नं0–1273 (2008) में दिनांक–09.02.2012 को एक आदेश पारित किया है कि लम्बे अर्से से चली आ रही जामबन्दी को संक्षेप कार्यवाही में रद्द नहीं किया जा सकता है और इस तरह के जमाबन्दी को रद्द करने का उचित माध्यम

Scanned with OKEN Scanner

सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को निरस्त करने हेतु अनुरोध कियागया है।

12. द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में केवाला वर्ष–1960 की छायाप्रति, केवाला वर्ष–2010 (केदार रजक), केवाला वर्ष–2010 (श्री शम्भू रजक) की छायाप्रति, ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति सलंग्न किया है।

13. उभय पक्षों के प्रस्तुत राजस्व कागजातों से यह प्रतीत होता है कि उभय पक्षों का उक्त भूमि पर जमाबन्दी कायम है। उक्त मामला दोहरी जमाबन्दी से संबंधित है।

14. प्रथम पक्ष का जमाबन्दी हुकुमनामा के आधार पर वर्ष–1944 ई0 होने का दावा किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर द्वितीय पक्ष वर्ष–1960 ई0 से जमाबन्दी होने का दावा किया जा रहा है, जिससे यह प्रतीत हो रह है कि उभय पक्षों का मामला दोहरी जमाबन्दी एवं लम्बे अर्से से चली आ रही जमाबन्दी से संबंधित है।

15. प्रश्नगत भूमि मौजा–चुकरू के खाता नं0–01, प्लॉट नं0–06, रकबा–2.00 एकड़ भूमि उभय पक्षों के नाम से लम्बे समय से जमाबन्दी चली आ रही है, जैसा कि 2008 (3) JCR 639 (Jharkhand) ***Dineshwar Prasad V/s Jharkhand State*** में कहा गया है कि ***"Long running jamabandi cannot be cancelled except by decree or order of competent court"*** लम्बे समय से चली आ रही जमाबन्दी को रद्द करने की शक्ति इस न्यायालय में निहित नहीं है।

16. इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित कथन, राजस्व कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता के तर्क सूनने के बाद यह स्पष्ट होता है कि मामला लम्बे समय से चली आ रही जमाबन्दी को रद्द करने से संबंधित है।

17. वर्णित स्थिति में यह मामला सिविल प्रवृत्ति का प्रतीत हो रहा है। लम्बे समय से चली आ रही जमाबन्दी ***(Long running jamabandi)*** को रद्द करने से संबंधित मामले में सक्षम न्यायालय व्यवहार न्यायालय है। अतः उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र हैं। वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

12/07/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

12/07/2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.08.30 13:19:53 +05:30
Location: 192.168.178.12

Scanned with OKEN Scanner